न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 02 / 2018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 बाबुसिंह पुत्र वरसिंह जाति रजपूत मैसर्स : भोमिया डेयरी, गायत्री नगर, सुमेरपुर रोड़, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 09.04.2017 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स भोमिया डेयरी, गायत्री नगर, सुमेरपुर रोड़, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए दूध के फ्रिज में 100 लीटर मिक्स दूध में से 2 लीटर दूध को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–652 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिक्स दूध को Sub Standard/does not confrom का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard स्तर के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा परिवाद के साथ जो राजपत्र प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद का कार्य करने हेतु नियुक्त अवश्य कर रखा है। उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

राजपत्र दिनांक 26.07.2011 के अन्त में यह नोट अंकित है कि एरिया नोटिफिकेशन विल बी सेपरेटली ईश्यू। इस अनुसार प्रार्थी को पाली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संलग्न जो तथ्य बताए गए है, वे मनगढन्त है, क्योंकि अप्रार्थी मौके पर मौजूद ही नहीं था तथा प्रार्थी द्वारा गवाहान के समक्ष कार्यवाही करना बताया है, जबकि किसी भी गवाह का नाम आदि परिवाद में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा दूध को किस प्रक्रिया से लिया गया, जिन कांच की शिशियों में सैम्पल लिया जाना बताया, वे कहाँ से लाई गई, किस प्रक्रिया से शील चस्पा किया गया, अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा न तो अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया एवं न ही अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त सामग्री बिक्री हेतु रखा जाना बताया है, सम्पूर्ण तथ्य मनगढन्त अंकित किए है। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 5 ए भी मौके पर तैयार नहीं किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से किसी प्रकार के सैम्पल नहीं लिए गए है एवं न ही अप्रार्थी के सामने किसी गवाह के हस्ताक्षर करवाए गए है तथा न ही कोई मौका फर्द ही तैयार की गई। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी द्वारा परिवाद में वर्णित अपराध कारित करना नहीं पाया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.04.2017 को अप्रार्थी की फर्म से मिक्स दूध के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–652 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./384/एक्ट/2017/384 दिनांक 02.05.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–652 को Sub Standard/does not confrom to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 का माना है। अप्रार्थी का मुख्य उज्र यह रहा कि अप्रार्थी की फर्म से जो सैम्पल लिया गया है, उसकी जांच नहीं करवाई गई एवं किसी अन्य स्थान से लिए गए सैम्पल की जांच खाद्य विश्लेषक द्वारा की गई है। इस तथ्य का पत्रावली के दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 09.04.2017 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–652 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे मिक्स दूध को Sub Standard/does not confrom to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 का माना है,। चूंकि प्रार्थी द्वारा जो नमूना लिया गया है, वह Sub Standard पाया गया है, जो खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक मिक्स दुध का विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पचास रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली